5

...ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2/225 संजय साहू v/s ADA

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/256 R-2 अ० गिरीश पारीक-1 श्री धर्मेन्द्र टांक श्री हरिसिंह गुर्जर-1 VA-3	
8/12/25	पत्रावली पेश की गई। वकलान उपस्थित। उत्तर पेश करने हेतु समय चाहते हैं जो दिया जाता है। आयंदा बहस की। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 22/12/25 को पेश हो। 2 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
22/12/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उप.। श्री गिरीश पारीक एड. ने रेस्पो. न. 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 12/01/26 को पेश हो। 2 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
12.1.26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] मिसल सुधार होकर [illegible] में जमा हो। 2 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील संख्या.....256..../2022/जिला अजमेर

श्री संजय साहू पुत्र श्री घनश्याम साहू जाति तेली निवासी– सी–17, पंचशील नगर, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय अजमेर।
2. पटवारी जी पटवार हल्का अजमेर थोक मालियान प्रथम तहसील व जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 07.07.2022 बउनवानी संजय साहू बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2022 में पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

(अ) यह कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट/वादी द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 188 राज0का0अधि0 का विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया तथा साथ में एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील व जिला अजमेर स्थित थोक मालियान प्रथम की आराजी खसरा नम्बर 4910 का एक भाग जिसका कुल रकबा 03–03–15 है, में से 1/8 हिस्से की आराजी (जिसे आगे "वादग्रस्त आराजी" कहा जायेगा) को प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.03.2019 को श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व0 गजराज जी धर्मपत्नी

Scanned with CamScanner